

Public Notice for Allotment of Floating Solar Projects

उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति- 2022 के अन्तर्गत सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश के बांधो / जलाशयो पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लाण्ट को बढ़ावा दिये जाने हेतु व्यवस्था प्राविधानित है। तत्क्रम में सिंचाई एवं जल ससांधन विभाग के चिन्हित 35 बांधों / जलाशयो पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना कराये जाने हेतु सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की सहमति पर मा० मंत्रिपरिषद के अनुमोदन उपरांत अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश संख्या 372 87- अति० ऊ० सो० वि०/2024 दिनांक 14.03.2024 के द्वारा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ० प्र० के बांधो / जलाशयों पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना हेतु आवंटन किये जाने हेतु दिशा- निर्देश' निर्गत किये गये है। उक्त के क्रम में मा० मंत्रिपरिषद के अनुमोदन एवं निर्गत शासनादेश संख्या 372/87- अति० ऊ० सो० वि०/2024 दिनांक 14.03.2024 के क्रम में अभिकरण के कार्यालय ज्ञाप संख्या 8021/नेडा - एसई - फ्लोटिंग सोलर पावर प्लाण्ट / 2023-24 दिनांक 28.03.2025 के द्वारा सिंचाई एवं जल ससांधन विभाग के चिन्हित बांधों / जलाशयो पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना हेतु आवंटन किये जाने हेतु एसओपी निर्गत की गयी है। निर्गत एसओपी में निर्धारित व्यवस्थाअनुसार यूपीनेडा द्वारा विकसित पोर्टल के माध्यम से निवेशको से आवेदन प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

06 बांधो/ जलाशयो हेतु प्रथम लॉट दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 30.04.2025 तक निवेशकों से आवेदन प्राप्त करने हेतु ओपेन किया गया था।

आठवाँ लॉट दिनांक 01.11. 2025 से दिनांक 30.11.2025 तक 05 बांधो / जलाशयों के आवंटन हेतु ओपन है।